

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Amendment of Article 51A).

16.07 1/2 hrs.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (बैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

----- <